संं0 ए-35018/1/2010-प्रशा.1 तार- इनरपावर

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक 21 सितंबर, 2010.

प्रति-

(3) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
(4) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
(3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
(4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
(5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
(6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/ सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
(7) अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
(8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (हाइड्रो) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में रिक्त पड़े निम्नलिखित पदों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव हैः

(I) सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण)
(II) सदस्य (हाइड्रो)

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान 22,400-525-24,500(पूर्व संशोधित) (67000-79000 रुपये संशोधित) है । इस पद के पदधारी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हक़दार होंगे ।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाती है ।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक अथवा औद्योगिक मामलों की समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो तथा वे इसमें सक्षम हों और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात्-

(क) उत्पादक केंद्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग।
(ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
(घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त ।

5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर रु0 18400-500-22400 (संशोधन पूर्व) [रू0 37400-67,000+रू0 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] या उच्च पद/वेतनमान में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद ।

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) व्यक्ति के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है ।

6. सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (हाइड्रो), सीईए के पद से जुड़े सभी कार्य एवं उत्तरदायित्व **अनुबंध-1** में दिए गए हैं ।

7. सदस्य केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयावधि तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा 58 वर्ष होगी ।

8. इन पदों के लिए आवेदनों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी ।

9. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) (यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर रहे हों, तो प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाए-

(i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपियां ।

(ii) सतर्कता संबंधी अनुमति प्रमाण पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे के पदं का न हो) ।

(iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा ।

10. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेज़ों/सूचना के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

मधुकर

(मधुकर सूद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23766236.

संलग्नः यथोपरि ।

अनुबंध-I

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्यों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण)

क्षेत्रीय ग्रिडों के सुरक्षित एवं आर्थिक प्रचालन के लिए नीतियों का प्रतिपादन; क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से पांच क्षेत्रीय ग्रिडों का एकीकृत प्रचालन, नियंत्रण एवं समन्वय, केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से शेयरों की सुपुर्दगी की निगरानी; विद्युत का अंतः एवं अंतर-क्षेत्रीय विनिमय; दैनिक एवं मासिक आधार पर ऊर्जा लेखा, आपातकालीन विद्युत सहायता; दैनिक और मासिक आधार पर ऊर्जा लेखा; भार उत्पादन संतुलन एवं ग्रिड अवरोध अध्ययन; ग्रिड कोड, व्यापक उत्पादन एवं पारेषण का टैरिफ सिद्धांत; ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी; वितरण नेटवर्क का इष्टतमीकरण, 100% मीटरिंग सहित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) से संबंधित कार्य, ऊर्जा लेखा, लाभ का मूल्यांकन, गुणवत्ता नियंत्रण; विद्युत क्षेत्र में दूरसंचार से संबंधित मामले, दूरसंचार आंकड़ा अधिग्रहण और साफ्टवेयर समर्थन, थर्मल विद्युत स्टेशनों का प्रचालन, निगरानी एवं निष्पादन समीक्षा; अनुरक्षण प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना, उत्पादन आंकड़ा संग्रह, निष्पादन विश्लेषण, अनुरक्षण निगरानी आदि ।

सदस्य (हाइड्रो)

देश में समग्र जल विद्युत विकास; जल विद्युत स्कीमों की सहमति; जल संसाधनों के उपयोग हेतु एकीकृत आयोजना; जल विद्युत क्षमता का मूल्यांकन; जांच एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर राज्यों की सहायता करना; जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं जांच निगरानी और इसमें शामिल समस्याओं के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना; उत्थान, जल विद्युत तकनीकों को उन्नत करना; विकास एवं मूल्यांकन; जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू; गुणवत्ता परक डिजाइन एवं इंजीनियरिंग; जल विद्युत स्टेशनों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; पारस्परिक लाभ हेतु जल संसाधनों के विकास के लिए नेपाल, भूटान और म्यांमार के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आदि ।

****

अनुबंध-2

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (   ) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-।

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित		
2. जन्म तिथि (ईस्वीं सन् में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन नियमावलीं के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं । (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं ।		

7. कालानुक्रम में रोज़गार के ब्यौरे । यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित कागज संलग्न करें ।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं- क) आरंभिक नियुक्ति की तिथिः ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्तशासी संगठन घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जारी कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें । (अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं) (नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)	

14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाएं (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन(III)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं।) (नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज़ संलग्न करें)	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद के चयन के समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर
पताः
दूरभाष/मोबाइल नं0
फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-II

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0.......................... तारीख....................

प्रमाणित किया जाता है कि-

(क) ऊपर उल्लिखित अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं है;

(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो उसका ब्यौरा दें);

(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरूद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)

हस्ताक्षर..........................
नाम..............................
पदनाम..........................
कार्यालय........................

(आवेदन-पत्र का भाग-II सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)